चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक-20.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में न्यायालय सुरक्षा प्रभारी उपस्थिति में एस-चेक टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा एवं डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायलय परिसर,कोर्ट चैम्बर्स व लॉकप में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(3). आज दिनाँक-20.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 एलआईयू शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में पौष मास अमावस्या मेला के दृष्टिगत बीडीएस टीम झांसी,डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट,निर्मोही अखाड़ा एवं मेला क्षेत्र सीतापुर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनाँक 20.12.2025 को अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में सभागार राजापुर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

महोदय द्वारा कहा गया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(5). आज दिनाँक 20.12.2025 को शासन की मनसा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार मानिकपुर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही कहा कि जमीन सम्बन्धित समस्या को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 20.12.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2020 धारा 376,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सुलेख पुत्र सत्यनारायण निवासी सुहैल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.02.2020 को थाना मऊ अंतर्गत एक वादिया द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि अभियुक्त सुलेख पुत्र सत्यनारायण उपरोक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया व जान से मारने की धमकी दी । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 30/20 धारा 376,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 केशरी प्रसाद यादव द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 24.04.2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 20.12.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मानिकुपर में पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2020 धारा 366,342,376 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त छोटेलाल पुत्र राममिलन निवासी अहिरीपुरवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 16,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2020 को थाना मानिकपुर अंतर्गत एक वादी द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गई कि अभियुक्त छोटेलाल उपरोक्त जो पहले से शादी शुदा है उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया जो । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 124/20 धारा 366 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गई विवेचना के क्रम में पीडिंता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 342,376 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 03.12.2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।